धारा 212 RTA

हुक्म या कार्यवाही मय इतिमियनान जब्त	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5.6.08 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित।

संक्षेप में प्रकरण निम्न प्रकार है कि प्रार्थिया द्वारा धारा अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA के साथ एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आ.ज.नं. 2829/0.21, 2832/0.11, 2833/0.06, 2834/0.08, 2835/0.11, 2838/0.10, 2839/0.21, 2840/0.17 वाली भूमि ग्राम डीग स्थित है। जिसमें प्रार्थिया 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार है जिस पर काबिज रहकर निरंतर काश्त करती चली आ रही है। अप्रार्थी सं. 1 आराजी मुतदाविया का सह खातेदार है, मगर सड़क व तामत के बल पर अप्रार्थी सं. 2 व 3 से मिल कर प्रार्थिया को मुतदाविया आराजी से बेदखल करने की फिराक में रहता है। प्रार्थिया के साथ झगड़ा करता है और प्रार्थिया की काश्त में मजाहमत व दखलंदाजी करने की धमकियां देता है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 का आराजी मुतदाविया से कोई संबंध नहीं है मगर प्रार्थिया की हिस्से की आराजी से बेदखल करने की धमकी देते हैं। दिनांक 12.07.06 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया को इत्तलाह दी कि प्रार्थिया के हिस्से की जमीन से सड़क व तामत के बल पर बेदखल कर कब्जा कर लेंगे। यदि अप्रार्थीगण अपनी उक्त धमकी के कामयाब हुए तो प्रार्थिया को अपार क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को अग्रिम आज्ञाई निषेधाज्ञा जारी किया जावे कि प्रार्थिया को बेदखल न करें, उसकी कब्जे की काश्त में मजाहमत व दखलंदाजी न करें।

प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस किया। जवाब अप्रार्थी सं. 3 पेश कर निवेदन किया कि प्रा.पत्र आज्ञाई निषेधाज्ञा बिलकुल अप्रार्थीगण सरासर झूठे कर बिलाकुल मौका व मारन पर्ची व झूठे नक्शों के आधार पर पेश किया है जो आजिजकी प्रार्थिया का विवादग्रस्त नेगान के 1/8 हिस्से पर कब्जा व काश्त नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 तहसीली मस्तुका का आदमी है और हरसमय राजस्व के नशे में रहता है उसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं है। अप्रार्थी सं. 3 अप्रार्थी सं. 2 की पत्नी है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 का इस

खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज

परिजन कुमार अपनी माता की सेवा में रहता है प्रार्थिया का पति, देवर एवं अप्रार्थीगण ग्राम की मोहल्ला के निवासी हैं। प्रार्थिया व उसके पति व देवर की नामित अप्रार्थी सं. 2 के 1/8 हिस्से विवादित भूमि पर रहती थी, कालांतर अप्रार्थी सं. 2 को शराब पिलाते। दिनांक 31.8.05 को अप्रार्थी सं. 2 को अधिक शराब पिला कर उसके 1/8 हिस्से की आराजी का बिना प्रतिफल दिये बयनामा करा लिया। प्रार्थिया का मौके पर विवादित आराजी हिस्सा 1/8 पर कोई सत्ता नहीं है अतः प्रा. पत्र खारिज किया जावे।

वकील प्रार्थिया द्वारा न्यायालय की संवत 2057 से 2060 की छाया प्रति पेश की।

वकील प्रार्थिया द्वारा बहस के प्रा. पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तथा केसला तथा अप्रार्थीगण की जबानी अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने का निवेदन किया। प्रार्थिया के हिस्से की आराजी के नजाइज नुकसान न करें।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रा. पत्र गलत तथ्यों के आधार पर खिलाफ नीयत से पेश किया है जो खारिज है।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया विवादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार है अप्रार्थी सं. 1 उक्त आराजी का पट्टाखातेदार है प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को शराब के नशे में विवादित आराजी का 1/8 हिस्सा का बयनामा कराया जाना जवाब में अंकित किया है प्रकरण इतरफा प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन किसी के पक्ष में नहीं है वाद का निर्णय रिकार्ड के तथ्यों के परीक्षण के आधार पर किया जावेगा। दोनों ही पक्षकारों को रिकार्ड न होने का भी यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाता है पत्रावली केसला कुमार के नाम की जाकर मूल पत्रावली दफ्तर संलग्न है। निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)